पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच

चर्चा में क्यों?

- 18 सितंबर, 2023 को बिहार की राजधानी पटना में जीएसटी ट्रिब्यूनल जल्द ही शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच बनने के बाद कारोबारी पटना हाइकोर्ट के बदले जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- जीएसटी कानून के तहत विभागीय कार्रवाई में कारोबारियों पर निकाली गई डिमांड पर पहली अपील कमिश्नर के पास की जाती है अगर कोई कारोबारी कमिश्नर की सुनवाई से संतुष्ट न हो तो उन्हें पटना हाइकोर्ट जाना पड़ता है।
- जीएसटी ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट रिफंड, इ-वे बिल,आइटीसी से संबंधित मामले और विवादित जीएसटी संबंधित मामलों का कम समय में निबटारा होगा।
- जीएसटी ट्रिब्यूनल में 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसमें दो न्यायिक और दो टेक्निकल सदस्य होंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gst-tribunal-bench-will-open-in-patna